हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर – 38/2017 सुमिता बनाम बजरंगलाल वगै0 प्रार्थना पत्र पत्थरगढी अ0 धारा 111 व 128	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जमीन हाल खसरा नम्बर 483 रकबा 2.04 है0 ग्राम समसपुर, पटवार हल्का प्रतापपुरा तहत तहसील झुन्झुनू में स्थित है। उक्त जमीन के कोटिनेन्ट आवेदकगण जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में दर्ज हक हिस्सा के अनुसार है। यह कि जमीन हाल खसरा नं. 484 रकबा 2.44 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम समसपुर के खातेदार अनावेदक नं. 1 से 4 है। अनावेदक नं. 1 लगायत 4 जमीन हाल खसरा नं. 483 की दक्षिणी सीमा की तरफ आवेदिका की कुछ जमीन को नाजायज रूप से दबा रखा है। अनावेदक नं. 1 लगायत 4 बरसात व काश्त के समय हाल खसरा नं. 483 की दक्षिण सीमा की सींव को नाजायज रूप से आगे बढ़कर दबा लेते हैं। बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मानते इसलिये आवेदिका ने जमीन हाल खसरा नं. 483 ग्राम समसपुर का दिनांक 25.12.2016 को सीमाज्ञान करवाया। दोनों पड़ौसी पक्षकारों के मध्य बरसात व काश्त के समय कोई सीमा विवाद नहीं हो इसलिये नपति दिनांकित 25.12.2016 के मुताबिक जमीन हाल खसरा नं. 483 एवं 484 के मध्य नपति दिनांकित 25.12.2016 के मुताबिक पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करने के लिये पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन हाल खसरा नम्बर 483 रकबा 2.04 है0 ग्राम समसपुर पटवार मंडल प्रतापपुरा की दक्षिणी दिशा की पत्थरगढी फर्द नपति दिनांक 25.12.2016 के मुताबिक की जावे तथा पत्थरगढी कर जमीन हाल खसरा नम्बर 483 एवं 484 के मध्य पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किया जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय प्रार्थना पत्र प्रति वास्ते जबाव देही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की तामिल सम्यक रूप से होने के बावजूद उपस्थित न्यायालय नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड व फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 25.12.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उक्त तथ्यों से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 एल आर एक्ट 1956 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 483 रकबा 2.04 है0 ग्राम समसपुर तहत तहसील झुन्झुनू की पत्थरगढी बाबत समस्त पक्षकारों को नियमानुसार नोटिस जारी कर पुनः सीमाज्ञान करवाते हुए मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाये। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 16.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

झुन्झुनू (राज.)